

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

ओम प्रकाश राय,

अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

बी.सी.ई. भागलपुर

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-112-इंजीनियरिंग /तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0303-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम" (विपत्र कोड-P2203001120303) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा विश्वबैंक सम्पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज-II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II)" के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि में से व्यय के उपरांत राजकोष में जमा राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागान्तर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी.सी.ई.) भागलपुर को राज्य योजना के अधीन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में क्रमशः रू. 1,39,23,000=00 मात्र एवं रू. 46,48,000=00 मात्र अर्थात् कुल रू. 1,85,71,000=00 (एक करोड़ पचासी लाख इकहतर हजार रुपये) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन अन्य विषयशीर्षों में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बी.सी.ई.), भागलपुर को राज्य योजना के अधीन राज्यांश के रूप में कुल रू. 46,48,000=00 (छियालीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत् प्रदान किया जाता है-

विषय शीर्ष	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
11 01 यात्रा व्यय	10,00,000=00
13 02 वाहन का इंधन एवं रखरखाव	2,00,000=00
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10,00,000=00
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	24,48,000=00
कुल	46,48,000=00

(क)

(क) छियालीस लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 10471, दिनांक 16.12.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, मांग संख्या तथा विपत्र कोड सहित विषयशीर्ष एवं आयोजना (योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।
6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

43 (म्य) /पटना, दिनांक 13-1-016

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल/विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

14/1-016

13/01/16

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

ओम प्रकाश राय,

अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

बी.सी.ई. भागलपुर

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-112- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0203- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम" (विपत्र कोड- P2203001120203) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा विश्वबैंक सम्पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज-II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II)" के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि में से व्यय के उपरांत राजकोष में जमा राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागान्तर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी.सी.ई.) भागलपुर को राज्य योजना के अधीन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में क्रमशः रु. 1,39,23,000=00 मात्र एवं रु. 46,48,000=00 मात्र अर्थात् कुल रु. 1,85,71,000=00 (एक करोड़ पचासी लाख इकहतर हजार रुपये) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन अन्य विषयशीर्षों में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बी.सी.ई.), भागलपुर को राज्य योजना के अधीन केन्द्रांश के रूप में कुल रु. 1,39,23,000=00 (एक करोड़ उनचालीस लाख तेईस हजार रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषय शीर्ष	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
13 01 कार्यालय व्यय	10,00,000=00
20 02 कान्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	20,00,000=00
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	15,00,000=00
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	18,00,000=00
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	76,23,000=00
कुल	1,39,23,000=00

(क)

(क) एक करोड़ उनचालीस लाख तेईस हजार रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 10471, दिनांक 16.12.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, मांग संख्या तथा विपत्र कोड सहित विषयशीर्ष एवं आयोजना (योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।
6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)व- 12/2012-

44(201) /पटना, दिनांक 13-1-016

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल/विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2016-01-13

2016/13/116
अपर सचिव

2016-01-13